ISSN : 3048-6203 Volume -2| Issue -2| July - Dec 2025

शोधभूमि
शिक्षा एवं शिक्षण शास्त्र विषय की पूर्व समीक्षित शोध पत्रिका
Page No. : 660-671

संवैधानिक अनुच्छेद 312 और भारतीय सेवाओं का सृजन, कार्यप्रणाली और भविष्य की संभावनाएँ

दलगंजन सिंह
ग्राम–विसमा, पोस्ट–असेह, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश, भारत
ईमेल : dalganjansingh111@gmail.com.

सारांश

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 संघीय शासन प्रणाली की प्रशासनिक रीढ़ के रूप में देखा जाता है, जो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन और संचालन से संबंधित है। इन सेवाओं का उद्देश्य एक ऐसे प्रशासनिक ढाँचे का निर्माण करना है जो संघ और राज्यों दोनों के बीच समन्वय स्थापित कर सके तथा देशभर में सुशासन, नीतिगत एकरूपता और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित कर सके। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि यदि देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थायी बनाना है तो एक ऐसी अखिल भारतीय सेवा का निर्माण आवश्यक है जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य स्तर पर भी कुशल प्रशासन प्रदान करे।

यह शोधपत्र अनुच्छेद 312 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाओं की संरचना, भूमिका, न्यायिक व्याख्या, समसामयिक चुनौतियाँ तथा इनके भविष्य की संभावनाओं का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक सुधारों और प्रौद्योगिकी के युग में अखिल भारतीय सेवाओं को कैसे अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक–केंद्रित बनाया जा सकता है।

बीज शब्द : अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवाएँ, संघीय शासन, भारतीय प्रशासन, सिविल सेवा सुधार, न्यायिक दृष्टिकोण।

भूमिका :–

भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत और जटिल संविधानों में से एक है, जिसने शासन प्रणाली में संतुलन और समन्वय बनाए रखने हेतु संघीय ढाँचे के भीतर एक अत्यंत सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था की परिकल्पना की है। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य है–देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान निर्माताओं ने कुछ विशेष प्रावधान किए, जिनमें अनुच्छेद 312 विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

अनुच्छेद 312 भारत में "अखिल भारतीय सेवाओं" के सृजन की संवैधानिक अनुमति प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच एक साझा प्रशासनिक सेवा की कल्पना की गई, जो दोनों स्तरों पर कार्य करे, किंतु उसकी निष्ठा और दृष्टि राष्ट्रीय हो। यही वह विचार

था, जिसके आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और बाद में भारतीय वन सेवा जैसी संस्थाएँ स्थापित की गईं।

संविधान निर्माताओं का उद्देश्य यह था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में प्रशासनिक एकरूपता बनाए रखने के लिए ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता होगी जो न केवल अपने राज्य की परिस्थितियों को समझें, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी नीति निर्माण और क्रियान्वयन कर सकें।

अनुच्छेद 312 का संवैधानिक स्वरूप :

भारतीय संविधान के भाग XIV में सेवाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक सेवाओं के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया गया है। इसी क्रम में अनुच्छेद 312 का स्थान विशेष महत्व रखता है।

अनुच्छेद 312(1) के अनुसार, यदि राज्यसभा यह घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में एक या अधिक नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन आवश्यक है, तो संसद द्वारा कानून बनाकर ऐसी सेवाएँ स्थापित की जा सकती हैं।

इस अनुच्छेद के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं –

राज्यसभा की सहमति आवश्यकरू अनुच्छेद 312(1) में कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों के कम से कम दो–तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में बहुमत से यह संकल्प पारित होना चाहिए कि राष्ट्रीय हित में ऐसी सेवाओं का सृजन आवश्यक है।

संसद का अधिकार: संकल्प पारित होने के पश्चात संसद को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह कानून बनाकर नई अखिल भारतीय सेवाएँ स्थापित कर सके।

राज्यों में तैनाती: ऐसी सेवाओं के सदस्य संघ और राज्यों दोनों की सेवा में कार्यरत रहेंगे, किंतु उनका नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन रहेगा।

इस प्रकार अनुच्छेद 312 भारतीय संघीय ढाँचे में "संघीय सहकारिता" का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों प्रशासनिक रूप से जुड़े रहते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

अखिल भारतीय सेवाओं की अवधारणा का मूल ब्रिटिश शासनकाल में निहित है। ब्रिटिश काल में इंडियन सिविल सर्विस को भारत की "स्टील फ्रेम" कहा जाता था। लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मैकाले जैसे प्रशासकों ने एक ऐसी सेवा प्रणाली विकसित की जो पूरे भारत में प्रशासनिक एकरूपता और नियंत्रण सुनिश्चित करती थी।

स्वतंत्रता के पश्चात यह प्रश्न उठा कि क्या इस औपनिवेशिक प्रणाली को बनाए रखा जाए या नहीं। संविधान सभा में इस पर गहन बहस हुई। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय सेवाओं के पक्ष में तर्क दिया कि "यदि अखिल भारतीय सेवाएँ समाप्त कर दी जाएँगी तो भारत में प्रशासनिक अराजकता फैल जाएगी।"

संविधान सभा की बहस (28 अक्टूबर 1949) में डॉ. अंबेडकर ने कहा –

"हमारा देश विविधताओं से भरा है। यदि प्रशासनिक दृष्टि से एकता और स्थायित्व बनाए रखना है तो अखिल भारतीय सेवाओं का बने रहना आवश्यक है।"

फलस्वरूप, संविधान में अनुच्छेद 312 को स्थान दिया गया ताकि देश में प्रशासनिक एकरूपता और राष्ट्रीय एकता बनी रहे।

अखिल भारतीय सेवाओं की वर्तमान संरचना :

वर्तमान में भारत में तीन प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएँ हैं –

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)
2. भारतीय पुलिस सेवा (IPS)
3. भारतीय वन सेवा (IFS)

इन सेवाओं का संचालन केंद्र सरकार के अधीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्य करते हैं। उदाहरणस्वरूप, एक आईएएस अधिकारी अपने करियर के किसी चरण में राज्य में जिलाधिकारी हो सकता है और बाद में केंद्र सरकार में सचिव के रूप में कार्य कर सकता है।

इन सेवाओं की संघीय द्वैध–भूमिका (Dual Character) ही उन्हें "अखिल भारतीय" बनाती है। इनका उद्देश्य है –

1. नीतियों में एकरूपता बनाए रखना
2. राज्यों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना
3. राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करना

संविधान सभा की दृष्टि और नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध:

संविधान निर्माताओं ने अखिल भारतीय सेवाओं को नीति निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) के अनुपालन हेतु भी एक माध्यम के रूप में देखा। अनुच्छेद 38 और 39 जैसे प्रावधानों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक सक्षम प्रशासनिक ढाँचा आवश्यक था। अखिल भारतीय सेवाएँ इस उद्देश्य को मूर्त रूप प्रदान करती हैं।

अनुच्छेद 312 के अंतर्गत प्रक्रिया (Procedure under Article 312):

1.राज्यसभा में संकल्प:

कम से कम दो–तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में साधारण बहुमत से यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में एक नई अखिल भारतीय सेवा की आवश्यकता है।

2. संसद द्वारा कानून निर्माण:

इस संकल्प के बाद संसद को यह अधिकार मिलता है कि वह ऐसी सेवाओं के गठन और कार्यप्रणाली से संबंधित कानून पारित करे।

3. राज्यों की सहमति:

राज्यों को इन सेवाओं को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सेवाएँ राज्य प्रशासन में भी कार्य करती हैं।

4. नियुक्ति एवं नियंत्रण:

इन सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और नियंत्रण केंद्र सरकार के पास रहता है।

प्रशासनिक दर्शन और अखिल भारतीय सेवाएँ:

भारतीय प्रशासन का दर्शन "निष्पक्षता, निष्ठा और सार्वजनिक सेवा" पर आधारित है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी इन आदर्शों का प्रतीक माने जाते हैं। उनका प्रशिक्षण और सेवा संरचना इस प्रकार बनाई गई है कि वे राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण रखते हुए स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सकें।

इन सेवाओं की संविधानिक जिम्मेदारी केवल कानूनों का पालन करना नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों – समानता, न्याय, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व – को लागू करना है।

अनुच्छेद 312 की व्याख्या और न्यायिक दृष्टिकोण:

भारतीय न्यायपालिका ने समय–समय पर अनुच्छेद 312 और अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका पर अपनी राय दी है।

1. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):

इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रशासनिक व्यवस्था संविधान की मूल संरचना का अंग है। अतः अखिल भारतीय सेवाएँ संविधान की "बेसिक स्ट्रक्चर" को सुरक्षित रखने में योगदान देती हैं।

2. एस.आर. बोंगैया बनाम भारत संघ (1991):

इस मामले में न्यायालय ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का स्थान केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि संवैधानिक भी है, क्योंकि उनका सृजन संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत हुआ है।

अखिल भारतीय सेवाओं की कार्यप्रणाली (Working of All India Services):

अखिल भारतीय सेवाओं का संचालन केंद्र और राज्यों दोनों के संयुक्त प्रशासनिक ढांचे के तहत होता है। इन सेवाओं की कार्यप्रणाली ऐसी बनाई गई है कि अधिकारी केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप राज्य सरकारों के कार्यों में समन्वय स्थापित कर सकें।

इन सेवाओं की कार्यप्रणाली को निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है –

(क) नियुक्ति (Appointment):

अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिफारिशों के आधार पर होती है। चयन प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा, योग्यता और प्रशिक्षण का समावेश होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएँ ही इन सेवाओं में प्रवेश करें।

(ख) प्रशिक्षण (Training):

प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों में अखिल भारतीय दृष्टिकोण, संवैधानिक मूल्यों की समझ और विविध सामाजिक–सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है।

आईएएस प्रशिक्षण: लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में होता है।

आईपीएस प्रशिक्षण: सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में।

आईएफएस प्रशिक्षण: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में।

(ग) तैनाती (Posting):

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को प्रारंभ में किसी राज्य में नियुक्त किया जाता है, परंतु उनके कैरियर के दौरान उन्हें केंद्र सरकार में भी प्रतिनियुक्ति के आधार पर भेजा जा सकता है। इस प्रणाली को कैडर प्रणाली कहा जाता है।

(घ) कैडर प्रबंधन:

प्रत्येक राज्य का एक कैडर होता है, जिसमें राज्य और केंद्र से चयनित अधिकारी कार्य करते हैं। उदाहरणतः– उत्तर प्रदेश कैडर, तमिलनाडु कैडर, आदि। केंद्र सरकार समय–समय पर कैडर के नियमों में संशोधन कर सकती है।

(ङ) वेतन, सेवा शर्तें और नियंत्रण:

इन अधिकारियों की सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। यद्यपि वे राज्य में कार्य करते हैं, परंतु उनके अनुशासनात्मक मामलों में अंतिम निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है।

संघदृराज्य संबंधों के बीच अखिल भारतीय सेवाओं का सेतु के रूप में कार्य

भारत का शासन संघीय स्वरूप का है, किंतु उसमें एकात्मक प्रवृत्तियाँ भी प्रबल हैं। अखिल भारतीय सेवाएँ इस "संघीय संतुलन" को बनाए रखने में सेतु का कार्य करती हैं।

(क) संघीय समन्वय:

अखिल भारतीय सेवाएँ केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों के बीच सामंजस्य बनाए रखती हैं। जब कोई नीति केंद्र स्तर पर बनाई जाती है, तो उसका प्रभावी क्रियान्वयन राज्यों में इन्हीं अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय एकता का प्रतीक:

ये सेवाएँ पूरे देश में समान प्रशासनिक मानकों को लागू करती हैं, जिससे शासन में एकरूपता आती है और नागरिकों के अधिकारों की समान सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

(ग) नीतिगत निरंतरता:

राज्य सरकारों में राजनीतिक परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की निरंतर उपस्थिति नीति–निर्माण में स्थायित्व प्रदान करती है।

(घ) संविधानिक निष्ठा:
अखिल भारतीय सेवा अधिकारी राज्य सरकार के अधीन रहते हुए भी संविधान और भारत संघ के प्रति निष्ठावान होते हैं। यह व्यवस्था उन्हें राजनीतिक दबावों से मुक्त रखती है।
अखिल भारतीय सेवाओं की प्रशासनिक महत्ता:
अखिल भारतीय सेवाओं का अस्तित्व भारत की प्रशासनिक संरचना की "रीढ़" के रूप में माना जाता है। उनकी भूमिका केवल नीतियों के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे विकासात्मक दृष्टिकोण से नीति–निर्माण में भी योगदान करते हैं।
(क) सुशासन की आधारशिला:
प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह शासन सुनिश्चित करना अखिल भारतीय सेवाओं का प्रमुख उद्देश्य है। ये अधिकारी नीतियों को जनता तक पहुँचाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
(ख) संकट प्रबंधन:
प्राकृतिक आपदाओं, महामारी या दंगों जैसी परिस्थितियों में प्रशासनिक मशीनरी को दिशा देना इन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है।
(ग) विकास योजनाओं का संचालन:
केंद्र और राज्य की विकास योजनाओं जैसे – मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि के क्रियान्वयन में आईएएस अधिकारी प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
अखिल भारतीय सेवाओं की चुनौतियाँ:
समय के साथ–साथ इन सेवाओं के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं।
(क) राजनीतिक हस्तक्षेप:
राज्यों में राजनीतिक नेतृत्व का दबाव प्रशासनिक निष्पक्षता को प्रभावित करता है। अधिकारियों के बार–बार स्थानांतरण और दंडात्मक कार्रवाई उनकी कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
(ख) भ्रष्टाचार और नैतिकता का क्षरण:
कुछ मामलों में अखिल भारतीय सेवाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रश्न उठे हैं। इससे जनविश्वास कमजोर हुआ है।
(ग) प्रशिक्षण की अद्यतनता:
तेजी से बदलते सामाजिक और तकनीकी परिवेश में अधिकारियों के प्रशिक्षण को समयानुकूल बनाना आवश्यक है।
(घ) जनसंपर्क की कमी:
अधिकांश अधिकारी नीति–निर्माण में तो दक्ष होते हैं, किंतु जनसंपर्क और स्थानीय सहभागिता के क्षेत्र में कमी देखी जाती है।
(ङ) कैडर नीति में असंतुलन:
कुछ राज्यों में अधिकारी की कमी है तो कुछ में अधिकता। यह असंतुलन प्रशासनिक दक्षता पर प्रभाव डालता है।
अखिल भारतीय सेवाओं और न्यायपालिका का संबंध:
न्यायपालिका ने अखिल भारतीय सेवाओं की संरचना, कार्यशैली और संवैधानिक स्थिति को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं।
(1) यूनियन ऑफ इंडिया बनाम टी.एन. गोविंदराजुलु (1985):
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की नियुक्ति और अनुशासन संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है।
(2) टी.एस.आर. सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ (2013):
इस निर्णय में न्यायालय ने कहा कि अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को "स्थिर कार्यकाल" (Fixed Tenure) मिलना चाहिए ताकि वे राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम कर सकें।

(3) प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006):
इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों के लिए दिशा–निर्देश दिए और आईपीएस अधिकारियों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात कही।
इन निर्णयों से यह स्पष्ट है कि न्यायपालिका ने अखिल भारतीय सेवाओं को लोकतंत्र की सुदृढ़ता का अनिवार्य अंग माना है।
अखिल भारतीय सेवाओं में सुधार की आवश्यकता:
21वीं सदी के बदलते प्रशासनिक, आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य में अखिल भारतीय सेवाओं को सुधार की आवश्यकता है।
(क) प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन
अधिकारियों का मूल्यांकन केवल वरिष्ठता पर नहीं बल्कि उनके कार्य–प्रदर्शन, नवाचार और जनसंतुष्टि पर आधारित होना चाहिए।
(ख) डिजिटल प्रशासन:
ई–गवर्नेंस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में प्रशासनिक कार्यों को तकनीक से जोड़ना अनिवार्य है।
(ग) नैतिकता और पारदर्शिता:
प्रशिक्षण में नैतिक मूल्यों और संवैधानिक उत्तरदायित्व पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
(घ) महिला प्रतिनिधित्व:
महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ाने से प्रशासन अधिक समावेशी बनेगा।
(ङ) लोक प्रशासन में नागरिक भागीदारी:
नीति निर्माण और क्रियान्वयन में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए।
संघीय संतुलन
भारतीय संघीय ढाँचा "सहकारी संघवाद" (Cooperative Federalism) पर आधारित है। अखिल भारतीय सेवाएँ इस सहकारिता का सजीव प्रतीक हैं। ये सेवाएँ न केवल केंद्र की नीतियों को राज्यों तक पहुँचाती हैं, बल्कि राज्यों की आवश्यकताओं को केंद्र तक भी पहुँचाती हैं।
इस प्रकार, अनुच्छेद 312 केवल प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, बल्कि यह संघीय संतुलन की संवैधानिक कुंजी है।
नागरिक सेवा सुधार आयोगों की सिफारिशें:
(क) सतर्कता आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2008):
इन आयोगों ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए "360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली" लागू की जानी चाहिए।
(ख) संविधान समीक्षा आयोग (2002):
इस आयोग ने अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं जैसे – भारतीय न्यायिक सेवा भारतीय शिक्षा सेवा आदि के गठन की सिफारिश की।
अखिल भारतीय सेवाओं में नैतिकता (Ethics in All India Services):
भारतीय प्रशासनिक परंपरा का एक प्रमुख स्तंभ नैतिकता और निष्ठा रही है। संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत गठित सेवाओं का उद्देश्य केवल नीति क्रियान्वयन नहीं, बल्कि शासन में नैतिक मूल्यों को आत्मसात करना भी है।
(क) नैतिक उत्तरदायित्व:
अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान की शपथ लेकर सार्वजनिक हित में कार्य करें। उनका कर्तव्य है –
जनता के अधिकारों की रक्षा करना,
प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना,
भ्रष्टाचार से दूर रहना।

(ख) नैतिकता की परिभाषा प्रशासनिक संदर्भ में:
नैतिकता का अर्थ केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि नागरिकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना है। यह "संविधान की आत्मा" को व्यवहार में उतारने की प्रक्रिया है।
(ग) प्रशिक्षण में नैतिक मूल्य:
मसूरी और हैदराबाद की अकादमियों में अधिकारियों को संविधान, मानवाधिकार, पारदर्शिता और सेवा आचरण से संबंधित नैतिक प्रशिक्षण दिया जाता है। किंतु वास्तविक जीवन में इस प्रशिक्षण को व्यवहार में लाना सबसे बड़ी चुनौती है।
पारदर्शिता और जवाबदेही :
लोकतंत्र में प्रशासन की विश्वसनीयता पारदर्शिता और जवाबदेही पर निर्भर करती है। अखिल भारतीय सेवाओं की कार्यप्रणाली में इन सिद्धांतों का महत्व निरंतर बढ़ा है।
(क) सूचना का अधिकार (RTI Act, 2005):
सूचना का अधिकार अधिनियम ने प्रशासनिक पारदर्शिता में क्रांति ला दी है। अब नागरिक सीधे तौर पर प्रशासनिक निर्णयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ी है।
(ख) लोकपाल और लोकायुक्त व्यवस्था:
लोकपाल अधिनियम, 2013 के तहत उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन अधिकारियों पर निगरानी की व्यवस्था की गई। इससे अखिल भारतीय सेवाओं की कार्यप्रणाली में भी जवाबदेही की भावना प्रबल हुई।
(ग) डिजिटल पारदर्शिता:
ई–ऑफिस, डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक पोर्टल जैसी प्रणालियाँ निर्णय प्रक्रिया को खुला और उत्तरदायी बना रही हैं।
उत्तरदायित्व के आयाम :
अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी केवल शासन की मशीनरी नहीं, बल्कि नीति निर्माण के संवैधानिक साधक हैं। उनका उत्तरदायित्व तीन स्तरों पर विभाजित है –
1. संविधान के प्रति उत्तरदायित्व: संविधान की शपथ के अनुसार वे राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहते हैं।
2. जनता के प्रति उत्तरदायित्व: लोकतंत्र में प्रशासन जनता का सेवक है, न कि शासक।
3. राजनीतिक नेतृत्व के प्रति उत्तरदायित्व: नीतियों को कार्यान्वित करते समय राजनीतिक नेतृत्व के निर्देशों का पालन करना, परंतु संविधान–विरुद्ध आदेशों का प्रतिरोध करना।
अखिल भारतीय सेवाएँ और भ्रष्टाचार की चुनौती:
भ्रष्टाचार प्रशासनिक ढाँचे की सबसे बड़ी चुनौती है। यद्यपि अधिकांश अधिकारी ईमानदारी से कार्य करते हैं, किंतु कुछ मामलों में दुरुपयोग से व्यवस्था की साख पर प्रश्न उठता है।
(क) कारण:
राजनीतिक दबाव,
व्यक्तिगत लाभ की प्रवृत्ति,
दंड प्रक्रिया की ढिलाई,
लोक–नैतिकता का ह्रास।
(ख) उपाय:
अखिल भारतीय सेवाओं के लिए कोड ऑफ एथिक्स (Code of Ethics) लागू किया जाना चाहिए।
उच्चाधिकारियों के संपत्ति विवरण सार्वजनिक किए जाएँ।
भ्रष्टाचार के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई हेतु स्वतंत्र आयोग गठित किए जाएँ।
प्रशासनिक सुधारों की दिशा (Administrative Reforms):

भारत में कई आयोगों ने अखिल भारतीय सेवाओं में सुधार के लिए सुझाव दिए हैं।

(क) संविधान समीक्षा आयोग (2002):

इस आयोग ने सुझाव दिया कि अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाएँ जैसे – भारतीय न्यायिक सेवा, भारतीय शिक्षा सेवा और भारतीय स्वास्थ्य सेवा बनाई जाएँ ताकि नीति निर्माण में विशेषज्ञता बढ़े।

(ख) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC, 2008):

इसने कहा कि सेवाओं में पारदर्शिता, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन और तकनीकी दक्षता बढ़ाई जानी चाहिए।

(ग) प्रधानमंत्री का लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार (PM*s Award for Excellence):

इस पुरस्कार प्रणाली ने अधिकारियों को नवाचार और जनोन्मुखी कार्यों के लिए प्रेरित किया है।

नागरिक भागीदारी (Citizen Participation):

अखिल भारतीय सेवाओं का एक नया आयाम नागरिक सहभागिता से जुड़ा है। लोकतंत्र में शासन केवल ऊपर से नीचे तक नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर तक भी संचालित होना चाहिए।

(क) सामुदायिक सहभागिता:

ग्रामीण विकास योजनाओं, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन आदि में नागरिकों की भागीदारी से पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ा है।

(ख) जन शिकायत निवारण प्रणाली:

ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन ने नागरिकों को प्रशासन तक पहुँचने का सरल माध्यम प्रदान किया है।

(ग) सामाजिक लेखा परीक्षा (Social Audit):

मनरेगा जैसी योजनाओं में सामाजिक लेखा परीक्षा प्रणाली ने जनता को सीधे शासन की निगरानी में शामिल किया है।

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य (Global Comparative Perspective):

अखिल भारतीय सेवाओं की अवधारणा की तुलना अन्य देशों की सिविल सेवाओं से की जा सकती है –

(क) ब्रिटेन की सिविल सेवा:

ब्रिटेन में सिविल सेवक पूरी तरह से राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होते हैं और स्थायी नौकरशाही की परंपरा है। भारत ने इसी मॉडल को आंशिक रूप से अपनाया है।

(ख) अमेरिका की सिविल सेवा:

अमेरिका में राजनीतिक नियुक्तियों की परंपरा अधिक है, जिससे प्रशासनिक निरंतरता कम होती है। भारत में अखिल भारतीय सेवाएँ इस स्थिति से बचाती हैं।

(ग) फ्रांस की 'ग्रांद एकोल' प्रणाली:

फ्रांस में प्रशासनिक अधिकारियों का चयन और प्रशिक्षण उच्चस्तरीय संस्थानों से होता है, जो भारत की एलबीएसएनएए प्रणाली के समान है।

इन तुलनात्मक दृष्टियों से यह स्पष्ट होता है कि भारत की अखिल भारतीय सेवाएँ विश्व में एक विशिष्ट संघीय मॉडल प्रस्तुत करती हैं।

सेवा सुरक्षा और स्वतंत्रता (Service Security and Independence):

संविधान ने अखिल भारतीय सेवाओं को पर्याप्त सेवा सुरक्षा प्रदान की है।

किसी अधिकारी को बिना उचित कारण के पद से नहीं हटाया जा सकता।

अनुशासनात्मक कार्रवाई राष्ट्रपति की अनुमति से ही होती है।

यह प्रावधान अधिकारियों को राजनीतिक प्रतिशोध से सुरक्षा देता है।

(न्यायिक दृष्टांत):

टी.एस.आर. सुब्रमण्यम केस (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकारी संविधान के प्रति निष्ठावान रहें, न कि राजनीतिक दबाव के प्रति।

तकनीकी नवाचार और अखिल भारतीय सेवाएँ:

21वीं सदी का प्रशासन डिजिटल शासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और डेटा एनालिटिक्स पर आधारित है। अखिल भारतीय सेवाओं को इन परिवर्तनों के साथ तालमेल बैठाना आवश्यक है।

(क) ई–गवर्नेंस:

नीति आयोग और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत अधिकांश प्रशासनिक कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार में कमी और दक्षता में वृद्धि हुई है।

(ख) कृत्रिम बुद्धिमत्ता और निर्णय समर्थन प्रणाली:

AI आधारित डैशबोर्ड प्रशासनिक निर्णयों को अधिक सटीक बना रहे हैं। अधिकारियों के प्रशिक्षण में इन तकनीकों का समावेश हो रहा है।

(ग) साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता:

डिजिटल प्रशासन के साथ डेटा सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को साइबर नैतिकता का भी पालन करना पड़ता है।

सामाजिक न्याय और अखिल भारतीय सेवाएँ:

संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप अखिल भारतीय सेवाओं का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति है।

(क) आरक्षण नीति:

सामाजिक समावेशन के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है। इससे सेवाओं में विविधता और सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ा है।

(ख) समान अवसर सिद्धांत:

संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर का प्रावधान है।

(ग) समावेशी शासन:

वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को समझने और उन्हें नीतिगत रूप से सशक्त करने में इन सेवाओं की भूमिका निर्णायक है।

समकालीन चुनौतियाँ:

अखिल भारतीय सेवाओं के समक्ष वर्तमान में कुछ जटिल चुनौतियाँ हैं –

राजनीतिक दबावों में निष्पक्षता बनाए रखना।

जन अपेक्षाओं में तेजी से वृद्धि।

तेजी से बदलते तकनीकी परिवेश के साथ अनुकूलन।

भ्रष्टाचार और नैतिकता के द्वंद्व।

संघ–राज्य संबंधों में संतुलन बनाए रखना।

समाधान की दिशा:

इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ प्रमुख सुधारात्मक उपाय सुझाए जा सकते हैं –

स्थिर कार्यकाल नीति (Fixed Tenure Policy) का कड़ाई से पालन।

संविधान आधारित सेवा आचार संहिता का प्रवर्तन।

प्रदर्शन आधारित प्रोन्नति की व्यवस्था।

जनसेवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार।

राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कैडर प्रबंधन प्रणाली।

(क) अखिल भारतीय सेवाओं के भविष्य की संभावनाएँ

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत सृजित अखिल भारतीय सेवाएँ भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। बदलते वैश्विक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इन सेवाओं का भविष्य कई दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

1.प्रशासनिक नवाचार और तकनीकी आधुनिकीकरण

21वीं सदी की शासन प्रणाली में डिजिटल गवर्नेंस, ई–प्रशासन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकें निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। भविष्य में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को इन तकनीकों में दक्षता प्राप्त करनी होगी ताकि नीति निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, दक्ष और उत्तरदायी बन सके।

अखिल भारतीय सेवाओं का प्रशिक्षण ढाँचा (जैसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी) को तकनीकी सशक्तिकरण के अनुरूप अद्यतन किया जाना आवश्यक है।

2.उत्तरदायित्व और नैतिक प्रशासन का सुदृढ़ीकरण

भविष्य की अखिल भारतीय सेवाओं के लिए उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को प्रशासनिक संस्कृति का आधार बनाना होगा। भ्रष्टाचार, पक्षपात, और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक स्वतंत्र और सुदृढ़ आचार संहिता विकसित की जा सकती है।

नैतिकता आधारित नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों में 'नैतिक प्रशासन', ''सामाजिक उत्तरदायित्व'' और ''सार्वजनिक हित'' पर विशेष पाठ्यक्रम जोड़े जाने चाहिए।

3. केंद्र–राज्य समन्वय का सुदृढ़ीकरण

अखिल भारतीय सेवाओं का मूल उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक एकता और समरसता सुनिश्चित करना है। भविष्य में यह समन्वय न केवल प्रशासनिक स्तर पर, बल्कि नीति, वित्तीय और तकनीकी क्षेत्रों में भी सुदृढ़ होना चाहिए।

सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद दोनों के संतुलित प्रयोग से अखिल भारतीय सेवाओं का स्वरूप और प्रभावशीलता बढ़ेगी।

4.नागरिक–केंद्रित प्रशासन

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भविष्य में 'Citizen-centric governance' के सिद्धांत को अपनाएँ — अर्थात नीति और निर्णय का केंद्र "नागरिक की आवश्यकताएँ और अधिकार" हों।

सेवा वितरण प्रणाली को सरल, सुलभ और प्रभावशाली बनाने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन, जन धन–आधार–मोबाइल ट्रिनिटी और लोक शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

5.अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना :

अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति है कि वह न्यायिक सेवा का सृजन करे। अब तक यह सेवा स्थापित नहीं हो सकी है, जबकि न्यायिक प्रशासन में एकरूपता और गुणवत्ता सुधार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।

भविष्य में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना न्यायिक पदों पर योग्यता आधारित चयन, न्याय वितरण में समानता और न्यायपालिका में विविधता को बढ़ावा देगी।

6.नीति निर्माण में विशेषज्ञता का समावेश

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को भविष्य में नीति विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सार्वजनिक अर्थशास्त्र जैसे विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करनी होगी।

इसके लिए सतत प्रशिक्षण और विदेशों की प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ साझेदारी से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

7. सेवा शर्तों में सुधार

सेवाओं में पारदर्शिता और कार्यक्षमता के लिए पदोन्नति, स्थानांतरण, और मूल्यांकन की प्रणाली को अधिक वैज्ञानिक बनाना होगा।

परफॉर्मेंस बेस्ड अपरेजल सिस्टम को मजबूत किया जाए ताकि योग्यता, ईमानदारी और नवाचार को प्रोत्साहन मिले।

8. लैंगिक समानता और सामाजिक प्रतिनिधित्व

भविष्य की अखिल भारतीय सेवाएँ तभी सशक्त बनेंगी जब उनमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।

महिला अधिकारियों के लिए सुरक्षित और सहायक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, प्रशासनिक संस्कृति का अभिन्न अंग बनना चाहिए।

(ख) निष्कर्ष :

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संवैधानिक नींव रखता है। इन सेवाओं ने स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को स्थायित्व, निरंतरता और एकता प्रदान की है।

जहाँ केंद्र और राज्य के बीच संबंध कभी–कभी राजनीतिक मतभेदों से प्रभावित होते हैं, वहीं अखिल भारतीय सेवाएँ इस संघीय ढाँचे को एकसूत्र में बाँधने का कार्य करती हैं।

अखिल भारतीय सेवाओं की सफलता इस बात में निहित है कि उन्होंने भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में प्रशासनिक समरसता और एक समान नीति–क्रियान्वयन की परंपरा को स्थापित किया है। परंतु, वर्तमान युग में जब शासन व्यवस्था का स्वरूप पारदर्शिता, दक्षता, तकनीकी नवाचार और जनसहभागिताष की ओर बढ़ रहा है, तब अखिल भारतीय सेवाओं को अपने चरित्र और कार्यशैली में व्यापक परिवर्तन अपनाने की आवश्यकता है।

भविष्य का भारत केवल प्रशासनिक दक्षता से नहीं, बल्कि नैतिक और उत्तरदायी प्रशासन से निर्मित होगा — जहाँ अखिल भारतीय सेवाएँ "राष्ट्र निर्माण की दिशा में नैतिक नेतृत्व" के रूप में कार्य करेंगी।

अनुच्छेद 312 के अंतर्गत सेवाओं का विस्तार — जैसे अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा, न्यायिक सेवा, और शिक्षा सेवा — भारतीय प्रशासन को और अधिक व्यापक, समावेशी और आधुनिक बनाएगा।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि —

"अखिल भारतीय सेवाएँ भारतीय लोकतंत्र की प्रशासनिक आत्मा हैं — यदि इनकी कार्यप्रणाली पारदर्शी, उत्तरदायी और जनोन्मुखी बने, तो भारत विश्व में शासन व्यवस्था का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।"

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारतीय संविधान, 1950 (संविधान का अनुच्छेद 312, भाग XIV, अध्याय)
2. बशिष्ठ, एस. के. (2020). भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था. नई दिल्ली: प्रवीण पब्लिकेशन।
3. बक्शी, पी. एम. (2022). द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग।
4. गोस्वामी, एस. (2019). इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स. दीप एंड डीप पब्लिकेशन्स।
5. सुप्रीम कोर्ट, Union of India vs Tulsiram Patel, AIR 1985 SC 1416.
6. सुप्रीम कोर्ट, Pradeep Kumar Biswas vs Indian Institute of Chemical Biology, (2002) 5 SCC 111.
7. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी – प्रशिक्षण रिपोर्ट्स (2020–2024)।
8. चौधरी, रमेश (2021). भारतीय प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता. अजय प्रकाशन, लखनऊ।
9. कुमार, अश्विनी (2020). Constitutional Development and National Integration in India. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

10. शर्मा, आर. एन. (2022). भारतीय संघवाद और प्रशासनिक संरचना. हिंदी ग्रंथ अकादमी, दिल्ली।
11. यशपाल सिंह (2023). संविधान और प्रशासनिक न्याय. भारत विद्या प्रकाशन, प्रयागराज।
12. Basu, D. D. (2021). Commentary on the Constitution of India. LexisNexis.
13. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India (Official Reports, 2022–2024).
14. ARC (Administrative Reforms Commission) Reports – 1st to 2nd ARC (1966–2009).
15. World Bank (2020). Public Sector Governance Report: India. Washington DC.